कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

विज्ञप्ति- जनपद न्यायालय झाँसी में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट की फ़ेस-1 व उसके पूर्व के ख़राब तथा अप्रचलित कंप्यूटर हार्डवेयर (यथा सी0 पी0 यू0, स्क्रीन, की-बोर्ड, माऊस तथा बैटरी इत्यादि) की नीलामी करवाए जाने हेतु

जनपद न्यायालय झाँसी में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट की फ़ेस-1 व उसके पूर्व के ख़राब तथा अप्रचलित कंप्यूटर हार्डवेयर (यथा सी0 पी0 यू0, स्क्रीन, की-बोर्ड, माऊस तथा बैटरी इत्यादि) की नीलामी करवाये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या 65/डी0 जे0 दिनांकित 19.03.2025 के माध्यम से शासनादेश संख्या 1393/78-2-2011-26 आई 0 टी0/2004 दिनांकित 20.09.2011 में वर्णित बिंदु संख्या 2 के क्रमांक ख के प्रकाश में गठित नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, झाँसी की आख्या दिनांकित 20.03.2025 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश झाँसी महोदय के आदेश दिनांकित 20.03.2025 के अनुपालन में उक्त निष्प्रयोज्य कंप्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी, समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार करवाकर, उसको निस्तारित करवाया जाना है। उक्त नीलामी दिनांक 27.03.2025 को समय सायं 4.30 बजे समिति के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष, नीलामी समिति/ अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, झांसी के विश्राम कक्ष में सम्पन्न होगी।

इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, झांसी से संपर्क कर उक्त निष्प्रयोज्य कंप्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का निरीक्षण कर उसकी नीलामी किये जाने हेतु बोली लगाकर लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा नीलामी हेतु बोली लगाने के पूर्व **धरोहर राशि के रूप में रू0 1,000/- (रू0 एक हजार मात्र)** की धनराशि रोकड़िया, जनपद न्यायालय, झांसी के पास जमा करानी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त तुरंत वापस कर दी जायेगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि को छोड़ते हुए नीलामी राशि की अवशेष धनराशि अगले कार्यदिवस तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में निश्चयात्मक रूप से जमा करानी होगी। नीलामी के बाबत अनुबन्धपत्र निर्धारित 10/- के स्टाम्प पर निष्पादित कराना होगा कि-

(क) बोली बोलने वाले व्यक्ति बकायादर एवं काली सूची के अन्तर्गत न आता हो।

(ख) बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही लम्बित हो। इस तथ्य का शपथपत्र प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(घ) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जानपद न्यायाधीश, झांसी को सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना तद्नुसार जनपद न्यायालय, झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करवाई जाये एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई जाये।

दिनांक:

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1,
झांसी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनापट पर चस्पा करने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित-

1. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), झांसी को उक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाए जाने हेतु।
3. केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, झाँसी को जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
   - अ. कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी।
   - ब. कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
   - स. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
   - द. कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, झांसी।
   - य. कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी।
   - र. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1,
झांसी